::आदेश::

तत्काल प्रभाव से प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2017–18 में समूह–"घ" के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04(वर्तमान तैनाती संस्था) से कॉलम–05(संस्था का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जा रहा है) में अंकित स्थानों पर किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहॉ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
1	श्री पवन कुमार	कर्मशाला अनुचर	रा0पा0 नैनीताल	रा0पा0 देहरादून	स्वयं के अनुरोध पर
2	श्री किशन दत्त	कर्मशाला अनुचर	रा0पा0 रूद्रप्रयाग	रा0पा0 गौचर	स्वयं के अनुरोध पर
3	श्री महावीर सिंह	लैब अनुचर	रा0पा0 गोपेश्वर	रा0पा0 रूद्रप्रयाग	स्वयं के अनुरोध पर
4	श्री राकेश प्रसाद चमोली	चपरासी	रा0पा0 श्रीनगर	रा0म0पा0 देहरादून	स्वयं के अनुरोध पर
5	श्री एहसान अली	चौकीदार	रा0ग्रा0पा0 थलनदी	रा0पा0 कोटद्वार	स्वयं के अनुरोध पर

उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि सात दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें और प्रधानाचार्य, स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों को पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– स्थानान्तरित कार्मिकों के किसी प्रकार का अवकाश का प्रार्थना पत्र स्वीकार न किया जाय।

3– स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4– यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पत्नी अथवा अन्य संबंधितों से प्रत्योवेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसके

अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय।

5— स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावाली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमवाली, 2003 के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा"।

6— स्थानान्तरित कार्मिकों का वेतन उनके नवीन तैनाती संस्था से आहरित किया जायेगा।

7— जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में किया गया है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा तथा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
निदेशक।
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल)

पृ0सं0 1054-59 /नि0प्रा0शि0/स्था0—08/2017—18 दिनांकः 30 जून 2017।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1)—निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपर मुख्य सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
(2)—सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड।
(3)—महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, पटेलनगर, देहरादून।
(4)—कोषाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार, उत्तराखण्ड।
(5)—सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रधानाचार्य।
(6)—गार्ड फाइल।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
निदेशक।